न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 06/17 दायरा दिनांक 15.06.2017

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामकरण पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी हलावनी तहसील किशनगंज जिला बारां

– प्रार्थी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र जीवन्या जाति सहरिया निवासी खंण्डेला तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

– अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. **श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **एक्स पार्टी – अप्रार्थीगण।**

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 04.07.2000, अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू. राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय **दिनांक** 2-2-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थी क्रम 1 गजानन्द पुत्र जीवन्या कौम सहरिया निवासी खंण्डेला तहसील किशनगंज जिला बारां के हक में दिनांक 04.07.2000 को आवंटन सलाहकार समिति मुकाम खंण्डेला द्वारा ग्राम खंण्डेला की ख.नं. 192/1 रकबा 2 बीघा का आवंटन किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम खंण्डेला का स्थायी निवासी नहीं है, तथा गत आवंटन के समय से निवास कर रहा है जबकि प्रार्थी ग्राम हलावनी का स्थायी निवासी है, प्रार्थी द्वारा ग्राम खंण्डेला की ख.सं. 192/1 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु अप्रार्थी को जानबूझकर भूमि आवंटन कर आवंटन समिति द्वारा गलती की गई, उक्त आराजी पर मेरा आवंटन के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और भूमि के चारो तरफ प्रार्थी द्वारा पत्थर कोट कर रखा है उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा कडी मेहनत कर काबिल काश्त बनाई गई है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त भूमि आज दिन तक मौके पर आकर नहीं देखी गई है न ही अप्रार्थी को अपने नाम से भूमि होने का किसी प्रकार की जानकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:14 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन के पश्चात् से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है, न कब्जा प्राप्त किया है, इस कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त आवंटन आराजी मौके पर खाली नहीं थीं प्रार्थी का उक्त भूमि पर बेरोकटोक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा सम्वत् 20 से 33 अर्थात सन् 1975 से प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा है परन्तु हल्का पटवारी द्वारा जान बूझकर उक्त भूमि की टीप प्रार्थी के नाम से नहीं की गई है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होना एवं चारो और पत्थर की बाउन्ड्री होना आवंटन किया जाना न्यायोचित था तथा प्रार्थी भूमिहीन होने से आवंटन का पात्र है। अप्रार्थी क्रम 1 का कब्जा न होते हुऐ भी उसके खाते में आराजी दर्ज हो जाने से अप्रार्थी कब्जा करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थी को आवंटन निरस्त करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का वैधानिक अधिकार है। प्रार्थी उक्त कब्जा शुदा आराजी ख.सं. 192/1 रकबा 2 बीघा भूमि पर हमेशा से फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है, तथा इस भूमि के अलावा प्रार्थी के पास परिवार पालन का कोई सहारा नहीं है, जबकि अप्रार्थी के पास अन्य गांवों में भूमि मौजूद है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की। तथा अप्रार्थी (आवंटी) स्थाई निवासी नहीं है। अतः आवंटी अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करें।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा नहीं है तथा आवंटी स्थायी निवासी नहीं है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.07.2000 को अप्रार्थी के पिता गजानन्द पुत्र जीवन्या जाति सहरिया निवासी खंण्डेला तहसील किशनगंज को ग्राम खंण्डेला की आराजी खसरा नं. 192/1 रकबा 2 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:14 IST
Reason: SelfAttested